भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1349

31.07.2025 को उत्तर के लिए

मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को मुआवजा

1349. श्री ए.ए.रहीम :
श्री बंशीलाल गुर्जर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2020 के बाद देश भर में मानव-वन्यजीव संघर्ष की सूचित की गई घटनाओं की वर्ष-वार और राज्य-वार कुल संख्या कितनी है;

(ख) मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति में पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी प्रावधान का ब्यौरा क्या है;

(ग) मुआवजे की पात्रता, राशि और भुगतान प्रक्रिया क्या है;

(घ) क्या सरकार बढ़ती घटनाओं और राज्यों की मांगों के मद्देनजर मुआवजे की राशि बढ़ाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान मुआवजे के रूप में वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी राशि वितरित की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (ङ) मानव-वन्यजीव संघर्षों के उपशमन सहित वन्यजीव प्रबंधन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की ज़िम्मेदारी है। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार, पिछले पाँच वर्षों में बाघों और हाथियों के हमलों के कारण हुई मानवीय क्षति का विवरण **संलग्नक-I** और **संलग्नक-II** में दिया गया है।

मंत्रालय देश में वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के प्रबंधन हेतु 'वन्यजीव पर्यावास विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' जैसी केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। सहायता प्राप्त कार्यविधियों में पूर्व चेतावनी प्रणालियों की खरीद, वन्यजीवों को फसल वाले खेतों में प्रवेश करने से रोकने के लिए कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा से चलने वाली विद्युत बाड़, जैव-बाड़, चारदीवारी आदि जैसे भौतिक अवरोधों का निर्माण करना शामिल है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान इन स्कीमों के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी की गई वित्तीय सहायता का विवरण **संलग्नक-III** और **संलग्नक-IV** में दिया गया है।

इसके अलावा, मंत्रालय ने इन स्कीमों के तहत दिसंबर 2023 में वन्यजीवों के हमलों के कारण मृत्यु या स्थायी अक्षमता के मामले में अनुग्रह राहत राशि को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया है और इसका भुगतान भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा इस संबंध में बनाए गए विशिष्ट दिशानिर्देशों/प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होता है। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन,

संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मानदंडों के अनुसार, मानव-वन्यजीव संघर्षों के कारण पशुधन, फसलों और मानव जीवन की क्षति, जिसमें घायल होना भी शामिल है, के लिए अनुग्रह राशि का भुगतान करते हैं। मानव-वन्यजीव संघर्षों के कारण फसल क्षति की घटनाओं और मुआवजे के दावों से संबंधित आंकड़े राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के स्तर पर एकत्र किए जाते हैं।

संलग्नक-I

'मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को मुआवजा' के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.1349 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

पिछले पांच वर्ष के दौरान बाघ के हमलों के कारण हुई मानव-मृत्यु का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	2020	2021	2022	2023	2024
1	असम	0	0	0	0	4
2	बिहार	1	4	9	1	2
3	छत्तीसगढ़	0	0	0	3	0
4	झारखंड	0	0	0	0	0
5	कर्नाटक	0	1	1	8	2
6	केरल	2	0	0	0	0
7	मध्य प्रदेश	11	2	3	10	6
8	महाराष्ट्र	25	32	82	37	42
9	मिजोरम	0	0	0	0	0
10	ओडिशा	0	0	0	0	0
11	राजस्थान	0	0	0	0	0
12	तमिलनाडु	1	3	0	1	0
13	तेलंगाना	2	0	0	0	1
14	उत्तर प्रदेश	4	11	11	25	10
15	उत्तराखंड	0	1	3	0	5
16	पश्चिम बंगाल	5	5	1	0	1
कुल		**51**	**59**	**110**	**85**	**73**

संलग्नक -II

'मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को मुआवजा' के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.1349 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

पिछले पांच वर्ष के दौरान हाथियों के हमलों के कारण हुई मानव-मृत्यु का वर्ष-वार एवं राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	4	6	4	5	6
2	अरुणाचल प्रदेश	0	2	2	0	0
3	असम	75	91	63	80	74
4	छत्तीसगढ़	77	42	64	69	51
5	झारखंड	84	74	133	96	87
6	कर्नाटक	30	26	27	29	48
7	केरल	12	20	25	22	23
8	महाराष्ट्र	1	0	0	2	5
9	मेघालय	4	6	3	3	7
10	नागालैंड	0	0	0	1	1
11	ओडिशा	117	93	112	148	154
12	तमिलनाडु	58	57	37	43	61
13	त्रिपुरा	2	1	2	2	1
14	उत्तर प्रदेश	6	1	0	4	4
15	उत्तराखंड	9	13	12	4	8
16	पश्चिम बंगाल	116	47	77	97	99
	कुल	**595**	**479**	**561**	**605**	**629**

संलग्नक-III

'मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को मुआवजा' के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.1349 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

पिछले पांच वर्षों और सीएफवाई के दौरान सीएसएस-'वन्यजीव पर्यावासों के विकास' के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को जारी धनराशि का विवरण।

(₹. लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/सं.रा.क्षे. का नाम**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26 (आज तक 18.7.2025)**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	135.77	25.125	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	312.5865	419.80617	276.44062	672.462	1044.819	0
4	असम	0	0	209.1464	565.10763	1234.4652	0
5	बिहार	205.1644	410.85952	0	336.37223	0	0
6	चंडीगढ़	25.16	0	21.6241	16.498	0	0
7	छत्तीसगढ़	104.35936	274.5903	104.457	116.24868	135.58248	0
8	गोवा	0	0	0	50.10	66.44425	0
9	गुजरात	124.5849	0	200.01	206.99	801.58248	0
10	हरियाणा	18.2212	127.331	30.1575	167.85	232.9722	109.2039
11	हिमाचल प्रदेश	187.63518	197.09452	114.3205	94.15328	172.31067	0
12	जम्मू और कश्मीर	80.62863	0	0	69.57972	73.97099	0
13	झारखंड	198.2265	79.53315	0	14.91025	71.93619	0
14	कर्नाटक	586.126341	1256.59314	291.71146	581.52346	800.8205	0
15	केरल	731.2845	295.7737	224.4735	921.0361	909.63915	0
16	मध्य प्रदेश	801.60127	389.34906	265.5508	471.81959	740.89064	0
17	महाराष्ट्र	146.08135	0	350.3879	554.69645	622.0670	0
18	मणिपुर	241.11948.	142.50646	180.64379	231.72407	261.70605	0
19	मेघालय	263.50463	530.51253	0	243.56611	389.5938	0
20	मिजोरम	339.60855	198.9678	190.1977	304.207	344.3258	262.71808
21	नगालैंड	260.00105	342.0315	725.6565	1306.3275	1490.04	0
22	ओडिशा	694.18819	726.80273	967.4976	1005.08612	1108.46011	457.73001
23	राजस्थान	309.12634	1007.64845	86.78886	0	0	0
24	सिक्किम	349.623	182.97174	239.66048	187.03237	221.17	0
25	तमिलनाडु	334.0354	390.75715	132.95205	373.8902	661.78722	0
26	तेलंगाना	36.59304	0	0	0	0	0
27	उत्तर प्रदेश	312.9244	169.06261	266.7472	290.64425	393.86725	398.51196

28	उत्तराखंड	441.61031	226.34415	212.9662	498.497	652.470665	0
29	पश्चिम बंगाल	710.61953	757.25599	201.30866	385.29988	183.14895	0
30	पुदुचेरी	0	0	0	5.22	0	0
31	लक्षद्वीप	462.859	462.086	269.9055	124.655	217.185	130.3831
32	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
33	त्रिपुरा	260.679	0	0	186.05514	339.4863	0
34	लद्दाख सं.रा.क्षे.	223.17292	31.95	61.11591	0.06	0	0
	कुल योग	**8761.324971**	**8755.59767**	**5648.84523**	**9981.61203**	**13170.741895**	**1358.54705**

संलग्नक -IV

'मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को मुआवजा' के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न सं.1349 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर में उल्लिखित संलग्नक

वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 के दौरान बाघ और हाथी परियोजना की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (सीएसएस) के तहत राज्यवार जारी धनराशि

(₹ लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/सं.रा.क्षे.**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23**	**2023-24***	**2024-25**
1	आंध्र प्रदेश	77.28	20.5565	0	149.421	365.13
2	अरुणाचल प्रदेश	282.256	157.7615	65.81025	1119.9145	1767.99
3	असम	35.284	126.716	167.4	2619.30784	3030.84438
4	छत्तीसगढ़	0	24.785	0	292.855	307.98951
5	झारखंड	111.86522	86.682	78.05	405.785	727.556
6	कर्नाटक	330.40376	261.195	97.8453	2613.0834	2801.267
7	केरल	574.56	580.96765	270.09	996.22425	221.36725
8	महाराष्ट्र	17.98	0	28.524	2614.45167	4176.7048
9	मेघालय	9.36	141.75	32.14	65.25	59.4
10	नागालैंड	92.5	279.759	235.575	337.77	305.442
11	ओडिशा	577.09	567.045	212.7695	1012.58764	919.57923
12	तमिलनाडु	0	181.8464	85.9405	2547.96648	2184.88357
13	त्रिपुरा	24.71	0	7.36516	27.0855	14.68868
14	उत्तर प्रदेश	0	45.993	9.858	1031.9767	2075.10675
15	उत्तराखंड	204.85	244.12375	18.7415	1495.5241	1823.2319
16	पश्चिम बंगाल	64.1958	87.8717	30.05	522.58101	425.94994
17	हरियाणा	11.04	4.2345	17.4	26.1	31.2
18	बिहार	39.08	0	0	308.9825	543.09678
19	राजस्थान	0	15.18	6.18609	968.3004	579.47723
20	पंजाब	0	0	0	0	0
21	मध्य प्रदेश	0	12.613	11.388	4303.794	5910.501
22	मणिपुर	0	5.4	0	14.121	29.25
23	मिजोरम	0	0	0	144	367.08969
24	तेलंगाना	0	0	0	323.308	291.682
25	हिमालच प्रदेश	0	0	0	19.61	40.572
	कुल	**2452.45478**	**2844.48**	**1375.1333**	**23959.99999**	**29000**

*केंद्रीय प्रायोजित स्कीम हाथी परियोजना और केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बाघ परियोजना को मिला दिया गया है और अब इसे केंद्रीय प्रायोजित स्कीम बाघ और हाथी परियोजना के नाम से जाना जाता है।